

**Office of DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS****SUKET FOREST DIVISION; SUNDERNAGAR DISTT. MANDI (H.P.) 175002****PHONE & Fax 01907 - 267228, e.mail - dfosuket123@gmail.com****No./RK./FCA./Slapper-Tatapani./** 6147**Date./Suket./** 29/08/2025**From : D.C.F. Suket****To : C.F. Mandi (T)**

Subject: Diversion of 41.815 ha. (now 33.3292 ha.) of forest land in favour of HPPWD for the construction of Slapper to Tattapani road (Km 8/500 to 61/600) within the jurisdiction of Suket and Karsog Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-Reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/37858/2018 dated 10.02.2025.

Memo

In this context, the In-Principal approval under Van (Sanrakshan evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in the said case of Diversion of 41.815 ha. (now 33.3292 ha.) of forest land in favour of C/o Slapper to Tatapani road (Km 08/500 to 61/600) from the GoI, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Regional Office, Chandigarh (Sub-Office Shimla) HP has been granted on date 24/02/2025. The compliance report of the conditions stipulated therein is hereby submitted for your kind perusal and further necessary action.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
i.	प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि (NPV, SMC, Reclamation and wildlife plan को मिला कर) CAMPA फण्ड में UTR No. RBI2392565771699 Dated 25.08.2025 के तहत जमा करवा दी गई है। शपथ पत्र संलग्न।
ii.	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP (C) No. 202/1995 अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशो की अनुपालना सुनिश्चित करेंगी।	माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP (C) No. 202/1995 अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशो की अनुपालना सुनिश्चित की जाती है। शपथ पत्र संलग्न।
iii.	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि, 33.3292 ha की नैट प्रजेंट वैल्यू UTR No. RBI2392565771699 Dated 25.08.2025 के तहत CAMPA खाते में जमा करवा दी गयी है। शपथ पत्र संलग्न।

**Office of DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS****SUKET FOREST DIVISION; SUNDERNAGAR DISTT. MANDI (H.P.) 175002****PHONE & Fax 01907 - 267228, e.mail - dfosuket123@gmail.com**

	प्रस्तावित वन भूमि, 33.3292 हेक्टेयर की नैट प्रजैट वैल्यू जमा करवाई जाये।	
iv.	प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवा दी गयी है शपथ पत्र संलग्न ।
v.	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाएगी ।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया गया है कि पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड कर दी गयी है शपथ पत्र संलग्न ।
vi.	प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते हैं अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा करवा दिया गया है शपथ पत्र संलग्न ।
vii.	प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है" प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि "संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है"। शपथ पत्र संलग्न ।
viii.	FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा ।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा FRA प्रमाण पत्र सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर दिया गया है शपथ पत्र संलग्न ।

(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना ह:-

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
i.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण एवं इस कार्यालय द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली

Office of **DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS**

SUKET FOREST DIVISION; SUNDERNAGAR DISTT. MANDI (H.P.) 175002

PHONE & Fax 01907 - 267228, e.mail - dfosuket123@gmail.com

		जाएगी शपथ पत्र संलग्न ।
ii.	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा ।	प्रयोक्ता अभिकरण एवं इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शाई गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा । शपथ पत्र संलग्न ।
iii.	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 5 हे० वन भूमि Block/compartments/Survey No-H43F7, Village: Mehach, Bhadaidhar, Seri Forest Range, Karsog Forest Division, 10 ha in Block/compartments/Survey No-H43F7, Village: Parta, Jhali, Seri Forest Range, Karsog Forest Division, 10 ha in Block/compartments/Survey No-H43F7, Village: Maroth & Pokhi, Seri Forest Range, Karsog Forest Division, 05 ha in Block/compartments/Survey No-H43F7, Village: Restadhar, Pangna Forest Range, Karsog Forest Division, 10 हे० वन भूमि Block/compartments/Survey No-DPF Patta, Village: Batwara, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division, 10 हे० वन भूमि Block/compartments/Survey No-DPF Aien Sunali, Village: Ropa Padhana, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division, 10 हे० वन भूमि Block/compartments/Survey NoND286 Hara-II, Village: Haraboi, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division, 10 हे० वन भूमि Block/compartments/Survey No-ND286 Hara-II, Village: Haraboi, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division Distt. Mandi, 07 हे० वन भूमि Block/compartments/Survey No-OD210 DPF Jartu, Village: Batwara, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division Distt. Mandi, Himachal	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार सीए योजना के अनुसार 5 हे० वन भूमि Block/compartments/Survey No-H43F7, Village: Mehach, Bhadaidhar, Seri Forest Range, Karsog Forest Division, 10 ha in Block/compartments/Survey No-H43F7, Village: Parta, Jhali, Seri Forest Range, Karsog Forest Division, 10 ha in Block/compartments/Survey No-H43F7, Village: Maroth & Pokhi, Seri Forest Range, Karsog Forest Division, 05 ha in Block/compartments/Survey No-H43F7, Village: Restadhar, Pangna Forest Range, Karsog Forest Division, 10 हे० वन भूमि Block/compartments/Survey No-DPF Patta, Village: Batwara, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division, 10 हे० वन भूमि Block/compartments/Survey No-DPF Aien Sunali, Village: Ropa Padhana, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division, 10 हे० वन भूमि Block/compartments/Survey NoND286 Hara-II, Village: Haraboi, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division, 10 हे० वन भूमि Block/compartments/Survey No-ND286 Hara-II, Village: Haraboi, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division Distt. Mandi, 07 हे० वन भूमि Block/compartments/Survey No-OD210 DPF Jartu, Village: Batwara, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division Distt. Mandi, Himachal

Office of **DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS**

SUKET FOREST DIVISION; SUNDERNAGAR DISTT. MANDI (H.P.) 175002

PHONE & Fax 01907 - 267228, e.mail - dfosuket123@gmail.com

	Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।	No-ND286 Hara-II, Village: Haraboi, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division Distt. Mandi, 07 हे० वन भूमि Block/compartments/Survey No-OD210 DPF Jartu, Village: Batwara, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division Distt. Mandi, Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा। सी० ए० की राशी प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा CAMPA खाते में जमा करवा दी गयी है। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा। शपथ पत्र संलग्न।
iv.	प्रस्तावित CA land, यदि राज्य वन विभाग के नाम है, तो उससे सम्बंधित दस्तावेज, अन्यथा, राज्य वन विभाग के नाम नामांतरण पश्चात, IFA 1927 के अंतर्गत, RF/PF में अतिरिक्त सूचित करा कर, तत्समं धित दस्तावेज, विधिवत स्वीकृति के पहले प्रस्तुत किया जाएगा।	सम्बंधित दस्तावेज संलग्न कर दिए गए हैं। शपथ पत्र संलग्न।
v.	This in-principle approval is subject to the final outcome w.r.t Hon'ble Supreme Court Orders in the CWP (C) No 1164/2023 dtd 03.02.2025.	This is assured that the said condition will be adhered to strictly by this department. Undertaking attached.
vi.	Soil and Moisture Conservation Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA is required to be submitted along with Stage-I compliance. However, in cases where it is not possible for the State Govt. to submit the compliance due to delay in preparation of such Plan, a lump sum amount of 0.5% of the project cost shall be realized from the User Agency and submitted along with the Stage - I compliance. The deficit amount, as per said Plan, if any, from the money already realized to the tune of 0.5% of project cost shall be deposited in the CAMPA account and same may be intimated to the MoEF&CC for the purpose of obtaining approval under the para-1.22 (ii) of the Van	User agency has deposited the Soil and Moisture Conservation cost along with detail cost of its implementation in the account of CAMPA vide UTR No. RBI2392565771699 Dated 25.08.2025. शपथ पत्र संलग्न।

**Office of DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS****SUKET FOREST DIVISION; SUNDERNAGAR DISTT. MANDI (H.P.) 175002****PHONE & Fax 01907 - 267228, e.mail - dfosuket123@gmail.com**

	(Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and FC division OM dated 26.12.2024.	
vii.	Wildlife Management Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA is required to be submitted along with Stage-I compliance. However, in cases where it is not possible for the State Govt. to submit the compliance due to delay in preparation of such Plan, a lump sum amount of 2% of the project cost shall be realized from the User Agency and submitted along with the Stage - I compliance. The deficit amount, as per said Plan, if any, from the money already realized to the tune of 2% of project cost shall be deposited in the CAMPA account and same may be intimated to the MoEF&CC for the purpose of obtaining approval under the para-1.22 (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and FC division OM dated 26.12.2024.	User agency has deposited the Wildlife Management Plan along with detail cost of its implementation in the account of CAMPA vide UTR No. RBI2392565771699 Dated 25.08.2025. शपथ पत्र संलग्न ।
viii.	State Govt. shall deposit the amount of Reclamation plan.	The amount of Reclamation plan has been deposited in CAMPA Account vide UTR No. RBI2392565771699 Dated 25.08.2025.
ix.	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगी।	वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड की जाएगी । शपथ पत्र संलग्न ।
x.	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। शपथ पत्र संलग्न ।
xi.	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे ।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को इस कार्यालय द्वारा जमा किया जाएगा व यह कार्यालय इस बात को

Office of **DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS**

SUKET FOREST DIVISION; SUNDERNAGAR DISTT. MANDI (H.P.) 175002

PHONE & Fax 01907 - 267228, e.mail - dfosuket123@gmail.com

		सुनिश्चित करेगा शपथ पत्र संलग्न ।
xii.	एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा ।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार किया जाएगा । शपथ पत्र संलग्न ।
xiii.	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा ।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा । शपथ पत्र संलग्न ।
xiv.	केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा ।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि केंद्र सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले-आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा । शपथ पत्र संलग्न ।
xv.	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जाएगा ।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जाएगा । शपथ पत्र संलग्न ।
xvi.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी ।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी । शपथ पत्र संलग्न ।
xvii.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा ।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा । शपथ पत्र संलग्न ।
xviii.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके ।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके । शपथ पत्र संलग्न ।
xix.	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी ।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता की जाएगी । शपथ पत्र संलग्न ।
xx.	स्थानांतरित वन भूमि की सीमार्ये आगे तथा पीछे	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया

Office of **DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS**

SUKET FOREST DIVISION; SUNDERNAGAR DISTT. MANDI (H.P.) 175002

PHONE & Fax 01907 - 267228, e.mail - dfosuket123@gmail.com

	लिखे गए क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जाएगी।	है कि स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गए क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जाएगी। शपथ पत्र संलग्न।
xxi	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे। शपथ पत्र संलग्न।
xxii	प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/ एनबीडब्ल्यूएल/ एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/ एनबीडब्ल्यूएल/ एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास उपलब्ध किया जाएगा। शपथ पत्र संलग्न।
xxii i.	यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि यदि आवश्यक होगा तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त की जाएगी। शपथ पत्र संलग्न।
xxiv	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा। मलबा निस्तारण स्थल पर दर्शाए गए वृक्षों का पतन नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा। मलबा निस्तारण स्थल पर दर्शाए गए वृक्षों का पातन नहीं किया जाएगा। शपथ पत्र संलग्न।
xxv	इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।	शर्त का पालन किया जाएगा। शपथ पत्र संलग्न।
xxvi	अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय - समय पर लगाई जा सकती है।	शर्त का पालन किया जाएगा। शपथ पत्र संलग्न।
xxvi i.	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम /न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।	शर्त का पालन किया जाएगा। शपथ पत्र संलग्न।
xxvi ii.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं	शर्त का पालन किया जाएगा।

**Office of DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS****SUKET FOREST DIVISION; SUNDERNAGAR DISTT. MANDI (H.P.) 175002****PHONE & Fax 01907 - 267228, e.mail - dfosuket123@gmail.com**

संबर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन (संरक्षण एवं संबर्धन) अधिनियम, 1980 और वन (संरक्षण एवं संबर्धन) नियम, 2023 के बारे में जारी Consolidated Guidelines उल्लेखित दिशानिर्देश 1.16 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।	शपथ पत्र संलग्न ।
---	--------------------------

Signed by

Rakesh Katoch

Date: 29-08-2025 16:54:09

Deputy Conservator of Forests**Suket Forest Division****Sundernagar Distt. Mandi (H.P.)****Endst./RK-FCA./6148-51****Date./Suket./ 29-08-2025****Copy for the favour of information & n/action is forwarded to:**

1. C.C.F. Mandi
2. DFO Karsog.
3. The Executive Engineer HPPWD Division Sundernagar w.r.t. his office **Letter No. PW-SNR-C.B. Slpr/FCA/5090 dated 29/08/2025**
4. RFO Kangoo.

-Sd./-**Deputy Conservator of Forests****Suket Forest Division****Sundernagar Distt. Mandi (H.P.)**

EXECUTIVE ENGINEER SUNDERNAGAR DIVISION
H.P. P.W.D
No. PW-SNR-C.B. SLPR/FCAI 5090 **Dt. 29.08.2025**

To

The Divisional Forest Officer,
Suket Forest Division,
Sundernagar Distt. Mandi, H.P.

Sub:- Diversion of 41.815 ha. (now 33.3292 ha.) of forest land in favour of HPPWD for the construction of Slapper to Tattapani road (Km 8/500 to 61/600) within the jurisdiction of Suket and Karsog Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-Reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/37858/2018 dated 10.02.2025.
(ii) MoM of 73rd REC of the RO-Chandigarh held on 31.01.2025.

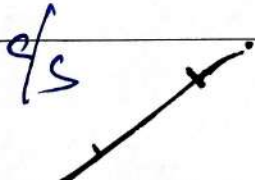
Sir,

This is with reference to the conditions of Stage-I Approval on the subject cited above. In this context the para wise compliance is as under:-

(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
1.	प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि CAMPA में UTR No. RBI2392565771699 Dated 25.08.2025 के तहत जमा करवा दी गयी है।
2.	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP (C) No. 202/1995 अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशो की अनुपालना सुनिश्चित करेंगी।	इस कार्यालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP (C) No. 202/1995 अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशो की अनुपालना सुनिश्चित की जाती है।
3.	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 33.3292 हेक्टेयर की नैट प्रजेंट	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि, 33.3292 हेक्टेयर की नैट प्रजेंट वैल्यू UTR No. RBI2392565771699 Dated 25.08.2025 के तहत CAMPA में जमा करवा दी गयी है।

	वैल्य जमा करवाई जाये।	
4.	प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवा दी गयी है।
5.	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाएगी।	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड कर दी गयी है।
6.	प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा करवा दी गयी है।
7.	प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है" प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि "संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है"। इस आशय का एक वचन पत्र संलग्न कर दिया गया है।
8.	FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा FRA प्रमाण पत्र सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर दिया गया है।


Divisional Forest officer
Suket Forest Division
Sundernagar Distt. Mandi H.P.


Executive Engineer
HPPWD, Sundernagar
Distt. Mandi H.P.

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना ह:-

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	इस कार्यालय द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2.	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।
3.	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 5 हे० वन भूमि Block/compartment/Survey No-H43F7, Village: Mehach, Bhadaidhar, Seri Forest Range, Karsog Forest Division, 10 ha in Block/compartment/Survey No-H43F7, Village: Parta, Jhali, Seri Forest Range, Karsog Forest Division, 10 ha in Block/compartment/Survey No H43F7, Village: Maroth & Pokhi, Seri Forest Range, Karsog Forest Division, 05 ha in Block/compartment/Survey No-H43F7, Village: Restadhar, Pangna Forest Range, Karsog Forest Division, 10 हे० वन भूमि Block/compartment/Survey No-DPF Patta, Village: Batwara, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division, 10 हे० वन भूमि Block/compartment/Survey No-DPF Aien Sunali, Village: Ropa Padhana, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division, 10 हे० वन भूमि Block/compartment/Survey No-ND286 Hara-II, Village: Haraboi, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division, 10 हे० वन भूमि Block/compartment/Survey No-ND286 Hara-II, Village: Haraboi, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division Distt. Mandi, 07 हे० वन भूमि Block/compartment/Survey No-OD210 DPF	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार सीए योजना के अनुसार 5 हे० वन भूमि Block/compartment/Survey No-H43F7, Village: Mehach, Bhadaidhar, Seri Forest Range, Karsog Forest Division, 10 ha in Block/compartment/Survey No-H43F7, Village: Parta, Jhali, Seri Forest Range, Karsog Forest Division, 10 ha in Block/compartment/Survey No-H43F7, Village: Maroth & Pokhi, Seri Forest Range, Karsog Forest Division, 10 ha in Block/compartment/Survey No H43F7, Village: Restadhar, Pangna Forest Range, Karsog Forest Division, 05 ha in Block/compartment/Survey No-H43F7, Village: Restadhar, Pangna Forest Range, Karsog Forest Division, 10 हे० वन भूमि Block/compartment/Survey No-DPF Patta, Village: Batwara, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division, 10 हे० वन भूमि Block/compartment/Survey No-DPF Aien Sunali, Village: Ropa Padhana, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division, 10 हे० वन भूमि Block/compartment/Survey No-ND286 Hara-II, Village: Haraboi, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division, 10 हे० वन भूमि Block/compartment/Survey No-ND286 Hara-II, Village: Haraboi, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division Distt. Mandi, 07 हे० वन भूमि Block/compartment/Survey No-OD210 DPF

	Jartu, Village: Batwara, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division Distt. Mandi, Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।	NoND286 Hara-II, Village: Haraboi, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division, 10 हे० वन भूमि Block/compartments/Survey No-ND286 Hara-II, Village: Haraboi, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division Distt. Mandi, 07 हे० वन भूमि Block/compartments/Survey No-OD210 DPF Jartu, Village: Batwara, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division Distt. Mandi, Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा। सी ए की राशी इस कार्यालय द्वारा CAMPA खाते में जमा करवा दी गयी है। अतः यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।
4.	प्रस्तावित CA land, यदि राज्य वन विभाग के नाम है, तो उससे सम्बंधित दस्तावेज, अन्यथा, राज्य वन विभाग के नाम नामांतरण पश्चात, IFA 1927 के अंतर्गत, RF/PF में अतिरिक्त सूचित करा कर, तत्समं धित दस्तावेज, विधिवत स्वीकृति के पहले प्रस्तुत किया जाएगा।	सम्बंधित दस्तावेज संलग्न कर दिए गए हैं।
5.	This in-principle approval is subject to the final outcome w.r.t Hon'ble Supreme Court Orders in the CWP (C) No 1164/2023 dtd 03.02.2025.	This is assured that the said condition will be adhered to strictly by this department.
6.	Soil and Moisture Conservation Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA is required to be submitted along with Stage-I compliance. However, in cases where it is not possible for the State Govt. to submit the compliance due to delay in preparation of such Plan, a lump sum amount of 0.5% of the project cost shall be realized from the User Agency and submitted along with the Stage - I compliance. The deficit amount, as per said Plan, if any, from the money already realized to the tune of 0.5% of project cost shall be deposited in the CAMPA account and same	Soil and Moisture Conservation Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA has been deposited vide UTR No. RBI2392565771699 Dated 25.08.2025.

	may be intimated to the MoEF&CC for the purpose of obtaining approval under the para-1.22 (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and FC division OM dated 26.12.2024.	
7.	Wildlife Management Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA is required to be submitted along with Stage-I compliance. However, in cases where it is not possible for the State Govt. to submit the compliance due to delay in preparation of such Plan, a lump sum amount of 2% of the project cost shall be realized from the User Agency and submitted along with the Stage - I compliance. The deficit amount, as per said Plan, if any, from the money already realized to the tune of 2% of project cost shall be deposited in the CAMPA account and same may be intimated to the MoEF&CC for the purpose of obtaining approval under the para-1.22 (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and FC division OM dated 26.12.2024.	Wildlife Management Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA has been deposited vide UTR No. RBI2392565771699 Dated 25.08.2025.
8.	State Govt. shall deposit the amount of Reclamation plan.	The amount of Reclamation plan has been deposited in CAMPA Account vide UTR No. RBI2392565771699 Dated 25.08.2025.
9.	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वाँच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगी।	यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा ई-ग्रीन वाँच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगी।
10.	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।	इस कार्यालय द्वारा या सुनिश्चित किया जाता है कि वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
11.	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।	इस कार्यालय द्वारा या सुनिश्चित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को इस कार्यालय द्वारा जमा किया जायेगा।
12.	एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता

	आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।	है कि एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार किया जायेगा।
13.	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
14.	केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि केंद्र सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
15.	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।	इस कार्यालय द्वारा वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।
16.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी।	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी।
17.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।
18.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करवाया जायेगा ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।
19.	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता की जाएगी।
20.	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे

	चिह्नित की जाएगी।	तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जाएगी।
21.	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे।	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे।
22.	प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/ एनबीडब्ल्यूएल/ एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी।	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/ एनबीडब्ल्यूएल/ एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास उपलब्ध किया जायेगा।
23.	यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।	इस कार्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि यदि आवश्यक होगा तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त की जाएगी।
24.	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंका जायेगा। मलबा निस्तारण स्थल पर दर्शाए गये वृक्षों का पतन नहीं किया जायेगा।	इस कार्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंका जायेगा। मलबा निस्तारण स्थल पर दर्शाए गये वृक्षों का पतन नहीं किया जायेगा।
25.	इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।	इस कार्यालय द्वारा सम्बंधित शर्त का पालन किया जायेगा।
26.	अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय - समय पर लगाई जा सकती है।	इस कार्यालय द्वारा सम्बंधित शर्त का पालन किया जायेगा।
27.	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम /न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।	इस कार्यालय द्वारा सम्बंधित शर्त का पालन किया जायेगा।
28.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा	इस कार्यालय द्वारा सम्बंधित शर्त का पालन किया जायेगा।

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के बारे में जारी Consolidated Guidelines उल्लेखित दिशानिर्देश 1.16 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।	
--	--

4/5

Divisional Forest officer
Suket Forest Division
Sundernagar Distt. Mandi H.P.



Executive Engineer
HPPWD, Sundernagar
Distt. Mandi H.P.

ICR.D.
29/8



Undertaking

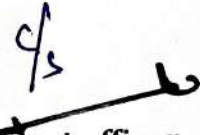
Sub:- Diversion of 41.815 ha. (now 33.3292 ha.) of forest land in favour of HPPWD for the construction of Slapper to Tattapani road (Km 8/500 to 61/600) within the jurisdiction of Suket and Karsog Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-Reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/37858/2018 dated 10.02.2025.

(ii) MoM of 73rd REC of the RO-Chandigarh held on 31.01.2025.

(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
1.	प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि CAMPA में UTR No. RBI2392565771699 Dated 25.08.2025 के तहत जमा करवा दी गयी है।


Divisional Forest officer
Suket Forest Division
Sundernagar Distt. Mandi H.P.


Executive Engineer
HPPWD, Sundernagar
Distt. Mandi H.P.

HPTR-RTGS

RTGS/NEFT

Treasury Code

MD101

DDO Code No.

60300

DDO/SDO Description

Executive Engineer, Sunder Nagar Division, H.P.W.D, Sunder Nagar.

Pre-Assigned Token No.

24123072

Date 25.08.2025

To be directly credited to following accounts

Total Amount Rs.

01428588/- only

Beneficiary Name

Transaction amount

Contractor ID

Account No

IFSC Code

Remitter's Name

Sr. No.

2

3

4

8

6

7

Himachal Pradesh CAMPA

01428588

MA00311090

180706137858404

UBIN0996335

PWD

Total:-

81428588

Amount in words:-

Rs.(Eight Crore Fourteen Lakh Twenty Eight Thousand Five Hundred and Eighty Eight) Only

[Signature]
 Executive Engineer
 HPPWD Division,
 Sunder Nagar (H.P.)

Received By:

HPTR-RTGS

[Signature]
 Divisional Forest Officer
 Suket Forest Division
 Sundernagar (H.P.) - 175018

[Signature]
 Divisional Forest Officer,
 Karsog Forest Division, H.P.

PAYEE MISCELLANEOUS PAYMENT REPORT (other than eSalary/ePension)

Date From 01/08/2025 To 28/08/2025

Sr No	Payee ID	Payee Name	PayOrder Dt	Bill No	Bank A/C	Net Amount
Total						₹ 81428588.00
MDI01-603		E.E. PWD DIVISION, SUNDERNAGAR	DDO Total			₹ 81428588.00
1	MA60311090	Himachal Pradesh CAMPA UTRNo:RBI2392565771699	26/08/2025	MDI01/603/0024/123072	15XXXXXX37858404	81428588.00
Grand Total						₹ 81428588.00

NICNET:HP

Printed on 28/08/2025 12:56 PM

1

**E-CHALLAN****Government Of Himachal Pradesh**

Department of Finance

Treasuries, Accounts & Lotteries

Valid Upto 01-Sep-2025

Remmitter Copy

HIMGRN

B25H116697

Date 26-08-2025 02:57:50PM

Department Forest**BarCode****Period**

26-08-2025 To 26-08-2025

DDOMDI01-816- FOREST DIVISION SUKET(SUNDERNAGAR)**Head****₹ Amount**

0406-01-800-18-OTHER MISCELLANEOUS RECEIPT

3348601

Total/Net Amount**3348601****In words**Thirty Three Lakh Forty Eight Thousand Six
Hundred One**Payee Detail****Licence/Vehicle/Permit/TIN no.**OTHER MISCELLANEOUS RECEIPTS -Departmental Charges for C/o
Slapper Tattapani Raod**Remitter Name:-** Executive Engineer**Address:-** Executive Engineer, Sundernagar
Division, HP.PWD Sundernagar Mob:
9418301602**FOR USE IN RECEIVING BANK****Bank CIN No****HIMGRN****B25H116697****Amount****₹ 3348601****Bank**

MANAGER, SBI SUNDERNAGAR

Cheque-DD-No.स्टेट बैंक
Bank of India 085
(होम) CHATROKHARI

23 AUG 2025

neet Kaur Nagpal

55 NIC-HP 7 Checker

Executive Engineer
HP PWD Division,
Sunder Nagar (H.P.)

B25H116697

e-Challan (IFMS)

1811 93534



E-CHALLAN

Government Of Himachal Pradesh

Department of Finance

Treasuries, Accounts & Lotteries

Valid Upto 10-Sep-2025

Remmitter Copy

HIMGRN

B25I103172

Date 04-09-2025 04:07:36PM

Department Forest

BarCode



Period 04-09-2025 To 04-09-2025

DDO MDI01-817- FOREST DIVISION KARSOG

Head

₹ Amount

0406-01-800-18-OTHER MISCELLANEOUS RECEIPT

1797521

Total/Net Amount

1797521

In words Seventeen Lakh Ninty Seven Thousand Five Hundred Twenty One

Payee Detail

Licence/Vehicle/Permit/TIN no.

OTHER MISCELLANEOUS RECEIPTS -Departmental Charges of C/o
Slapper Tattapani Road

Remitter Name:- Executive Engineer

Address:- Executive Engineer, Sundernagar
Division, HP.PWD Sundernagar Mob:
9418301602

FOR USE IN RECEIVING BANK

Bank CIN No

HIMGRN

B25I103172

Amount

₹ 1797521

Bank

MANAGER, SBI SUNDERNAGAR

Cheque-DD-No

Executive Engineer
HPPWD Division,
Sunder Nagar (H.P.)

Undertaking

Sub:- Diversion of 41.815 ha. (now 33.3292 ha.) of forest land in favour of HPPWD for the construction of Slapper to Tattapani road (Km 8/500 to 61/600) within the jurisdiction of Suket and Karsog Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-Reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/37858/2018 dated 10.02.2025.

(ii) MoM of 73rd REC of the RO-Chandigarh held on 31.01.2025.

(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
2.	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP (C) No. 202/1995 अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगी।	इस कार्यालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP (C) No. 202/1995 अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाती है।

4/5
Divisional Forest officer
Suket Forest Division
Sundernagar Distt. Mandi H.P.

Executive Engineer
HPPWD, Sundernagar
Distt. Mandi H.P.

Undertaking

Sub:- Diversion of 41.815 ha. (now 33.3292 ha.) of forest land in favour of HPPWD for the construction of Slapper to Tattapani road (Km 8/500 to 61/600) within the jurisdiction of Suket and Karsog Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-Reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/37858/2018 dated 10.02.2025.

(ii) MoM of 73rd REC of the RO-Chandigarh held on 31.01.2025.

(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
3.	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 33.3292 हेक्टेयर की नैट प्रजेंट वैल्य जमा करवाई जाये।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि, 33.3292 हेक्टेयर की नैट प्रजेंट वैल्य UTR No. RBI2392565771699 Dated 25.08.2025 के तहत CAMPA में जमा करवा दी गयी है।


**Divisional Forest officer
Suket Forest Division
Sundernagar Distt. Mandi H.P.**


**Executive Engineer
HPPWD, Sundernagar
Distt. Mandi H.P.**

Undertaking

Sub:- Diversion of 41.815 ha. (now 33.3292 ha.) of forest land in favour of HPPWD for the construction of Slapper to Tattapani road (Km 8/500 to 61/600) within the jurisdiction of Suket and Karsog Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-Reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/37858/2018 dated 10.02.2025.

(ii) MoM of 73rd REC of the RO-Chandigarh held on 31.01.2025.

(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
4.	प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवा दी गयी है।

4/5
Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar Distt. Mandi H.P.


Executive Engineer
HPPWD, Sundernagar
Distt. Mandi H.P.

Undertaking

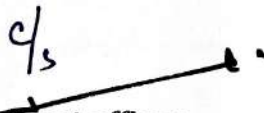
Sub:- Diversion of 41.815 ha. (now 33.3292 ha.) of forest land in favour of HPPWD for the construction of Slapper to Tattapani road (Km 8/500 to 61/600) within the jurisdiction of Suket and Karsog Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-Reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/37858/2018 dated 10.02.2025.

(ii) MoM of 73rd REC of the RO-Chandigarh held on 31.01.2025.

(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
5.	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाएगी।	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड कर दी गयी है।


Divisional Forest officer
Suket Forest Division
Sundernagar Distt. Mandi H.P.


Executive Engineer
HPPWD, Sundernagar
Distt. Mandi H.P.

Undertaking

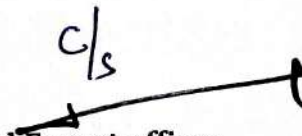
Sub:- Diversion of 41.815 ha. (now 33.3292 ha.) of forest land in favour of HPPWD for the construction of Slapper to Tattapani road (Km 8/500 to 61/600) within the jurisdiction of Suket and Karsog Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-Reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/37858/2018 dated 10.02.2025.

(ii) MoM of 73rd REC of the RO-Chandigarh held on 31.01.2025.

(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
6.	प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एंनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एंनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा करवा दी गयी है।


**Divisional Forest officer
Suket Forest Division
Sundernagar Distt. Mandi H.P.**


**Executive Engineer
HPPWD, Sundernagar
Distt. Mandi H.P.**

Undertaking

Sub:- Diversion of 41.815 ha. (now 33.3292 ha.) of forest land in favour of HPPWD for the construction of Slapper to Tattapani road (Km 8/500 to 61/600) within the jurisdiction of Suket and Karsog Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-Reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/37858/2018 dated 10.02.2025.

(ii) MoM of 73rd REC of the RO-Chandigarh held on 31.01.2025.

(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
7.	प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है" प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा।	मैं अधिशाषी अभियंता हि० प्र० लोक निर्माण विभाग, सुकेत संभाग जिला मंडी यह सुनिश्चित करता हूँ कि इस संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए लंबित नहीं है।


**Divisional Forest officer
Suket Forest Division
Sundernagar Distt. Mandi H.P.**


**Executive Engineer
HPPWD, Sundernagar
Distt. Mandi H.P.**

Undertaking

Sub:- Diversion of 41.815 ha. (now 33.3292 ha.) of forest land in favour of HPPWD for the construction of Slapper to Tattapani road (Km 8/500 to 61/600) within the jurisdiction of Suket and Karsog Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-Reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/37858/2018 dated 10.02.2025.

(ii) MoM of 73rd REC of the RO-Chandigarh held on 31.01.2025.

(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
8.	FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा FRA प्रमाण पत्र सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर दिया गया है।

C/s
Divisional Forest officer
Suket Forest Division
Sundernagar Distt. Mandi H.P.

Executive Engineer
HPPWD, Sundernagar
Distt. Mandi H.P.

Undertaking

Sub:- Diversion of 41.815 ha. (now 33.3292 ha.) of forest land in favour of HPPWD for the construction of Slapper to Tattapani road (Km 8/500 to 61/600) within the jurisdiction of Suket and Karsog Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-Reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/37858/2018 dated 10.02.2025.

(ii) MoM of 73rd REC of the RO-Chandigarh held on 31.01.2025.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	इस कार्यालय द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।


**Divisional Forest officer
Suket Forest Division
Sundernagar Distt. Mandi H.P.**


**Executive Engineer
HPPWD, Sundernagar
Distt. Mandi H.P.**

Undertaking

Sub:- Diversion of 41.815 ha. (now 33.3292 ha.) of forest land in favour of HPPWD for the construction of Slapper to Tattapani road (Km 8/500 to 61/600) within the jurisdiction of Suket and Karsog Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-Reg.

**Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/37858/2018 dated 10.02.2025.
(ii) MoM of 73rd REC of the RO-Chandigarh held on 31.01.2025.**

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
2.	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।

Divisional ~~Forest~~ officer
Suket Forest Division
Sundernagar Distt. Mandi H.P.


Executive Engineer
HPPWD, Sundernagar
Distt. Mandi H.P.

Undertaking

Sub:- Diversion of 41.815 ha. (now 33.3292 ha.) of forest land in favour of HPPWD for the construction of Slapper to Tattapani road (Km 8/500 to 61/600) within the jurisdiction of Suket and Karsog Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-Reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/37858/2018 dated 10.02.2025.

(ii) MoM of 73rd REC of the RO-Chandigarh held on 31.01.2025.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
3	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 5 हे० वन भूमि Block/compartment/Survey No-H43F7, Village: Mehach, Bhadaidhar, Seri Forest Range, Karsog Forest Division, 10 ha in Block/compartment/Survey No-H43F7, Village: Parta, Jhali, Seri Forest Range, Karsog Forest Division, 10 ha in Block/compartment/Survey No H43F7, Village: Maroth & Pokhi, Seri Forest Range, Karsog Forest Division, 05 ha in Block/compartment/Survey No-H43F7, Village: Restadhar, Pangna Forest Range, Karsog Forest Division, 10 हे० वन भूमि Block/compartment/Survey No-DPF Patta, Village: Batwara, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division, 10 हे० वन भूमि Block/compartment/Survey No-DPF Aien Sunali, Village: Ropa Padhana, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division, 10 हे० वन भूमि Block/compartment/Survey NoND286 Hara-II, Village: Haraboi, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division, 10 हे० वन भूमि	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार सीए योजना के अनुसार 5 हे० वन भूमि Block/compartment/Survey No-H43F7, Village: Mehach, Bhadaidhar, Seri Forest Range, Karsog Forest Division, 10 ha in Block/compartment/Survey No-H43F7, Village: Parta, Jhali, Seri Forest Range, Karsog Forest Division, 10 ha in Block/compartment/Survey No H43F7, Village: Maroth & Pokhi, Seri Forest Range, Karsog Forest Division, 05 ha in Block/compartment/Survey No-H43F7, Village: Restadhar, Pangna Forest Range, Karsog Forest Division, 10 हे० वन भूमि Block/compartment/Survey No-DPF Patta, Village: Batwara, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division, 10 हे० वन भूमि Block/compartment/Survey No-DPF Aien Sunali, Village: Ropa Padhana, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division, 10 हे० वन भूमि Block/compartment/Survey NoND286 Hara-II, Village: Haraboi, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division,

Block/compartment/Survey No-ND286 Hara-II, Village: Haraboi, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division Distt. Mandi, 07 हे० वन भूमि Block/compartment/Survey No-OD210 DPF Jartu, Village: Batwara, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division Distt. Mandi, Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।	10 हे० वन भूमि Block/compartment/Survey No-ND286 Hara-II, Village: Haraboi, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division Distt. Mandi, 07 हे० वन भूमि Block/compartment/Survey No-OD210 DPF Jartu, Village: Batwara, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division Distt. Mandi, Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा। सी ए की राशी इस कार्यालय द्वारा CAMPA खाते में जमा करवा दी गयी है। अतः यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।
---	--


Divisional Forest officer
Suket Forest Division
Sundernagar Distt. Mandi H.P.


Executive Engineer
HPPWD, Sundernagar
Distt. Mandi H.P.

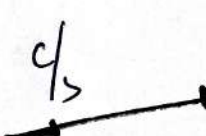
Undertaking

Sub:- Diversion of 41.815 ha. (now 33.3292 ha.) of forest land in favour of HPPWD for the construction of Slapper to Tattapani road (Km 8/500 to 61/600) within the jurisdiction of Suket and Karsog Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-Reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/37858/2018 dated 10.02.2025.

(ii) MoM of 73rd REC of the RO-Chandigarh held on 31.01.2025.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
4	प्रस्तावित CA land, यदि राज्य वन विभाग के नाम है, तो उससे सम्बंधित दस्तावेज, अन्यथा, राज्य वन विभाग के नाम नामांतरण पश्चात, IFA 1927 के अंतर्गत, RF/PF में अतिरिक्त सूचित करा कर, तत्समं धित दस्तावेज, विधिवत स्वीकृति के पहले प्रस्तुत किया जाएगा।	सम्बंधित दस्तावेज संलग्न कर दिए गए हैं।


Divisional Forest officer
Suket Forest Division
Sundernagar Distt. Mandi H.P.


Executive Engineer
HPPWD, Sundernagar
Distt. Mandi H.P.

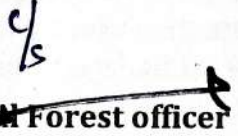
Undertaking

Sub:- Diversion of 41.815 ha. (now 33.3292 ha.) of forest land in favour of HPPWD for the construction of Slapper to Tattapani road (Km 8/500 to 61/600) within the jurisdiction of Suket and Karsog Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-Reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/37858/2018 dated 10.02.2025.

(ii) MoM of 73rd REC of the RO-Chandigarh held on 31.01.2025.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
5	This in-principle approval is subject to the final outcome w.r.t Hon'ble Supreme Court Orders in the CWP (C) No 1164/2023 dtd 03.02.2025.	This is assured that the said condition will be adhered to strictly by this department.


Divisional Forest officer
Suket Forest Division
Sundernagar Distt. Mandi H.P.


Executive Engineer
HPPWD, Sundernagar
Distt. Mandi H.P.

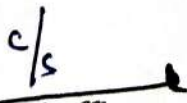
Undertaking

Sub:- Diversion of 41.815 ha. (now 33.3292 ha.) of forest land in favour of HPPWD for the construction of Slapper to Tattapani road (Km 8/500 to 61/600) within the jurisdiction of Suket and Karsog Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-Reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/37858/2018 dated 10.02.2025.

(ii) MoM of 73rd REC of the RO-Chandigarh held on 31.01.2025.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
6	Soil and Moisture Conservation Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA is required to be submitted along with Stage-I compliance. However, in cases where it is not possible for the State Govt. to submit the compliance due to delay in preparation of such Plan, a lump sum amount of 0.5% of the project cost shall be realized from the User Agency and submitted along with the Stage - I compliance. The deficit amount, as per said Plan, if any, from the money already realized to the tune of 0.5% of project cost shall be deposited in the CAMPA account and same may be intimated to the MoEF&CC for the purpose of obtaining approval under the para-1.22 (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and FC division OM dated 26.12.2024.	Soil and Moisture Conservation Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA has been deposited vide UTR No. RBI2392565771699 Dated 25.08.2025.


Divisional Forest officer
Suket Forest Division
Sundernagar Distt. Mandi H.P.


Executive Engineer
HPPWD, Sundernagar
Distt. Mandi H.P.

Undertaking

Sub:- Diversion of 41.815 ha. (now 33.3292 ha.) of forest land in favour of HPPWD for the construction of Slapper to Tattapani road (Km 8/500 to 61/600) within the jurisdiction of Suket and Karsog Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-Reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/37858/2018 dated 10.02.2025.
(ii) MoM of 73rd REC of the RO-Chandigarh held on 31.01.2025.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
7	Wildlife Management Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA is required to be submitted along with Stage-I compliance. However, in cases where it is not possible for the State Govt. to submit the compliance due to delay in preparation of such Plan, a lump sum amount of 2% of the project cost shall be realized from the User Agency and submitted along with the Stage - I compliance. The deficit amount, as per said Plan, if any, from the money already realized to the tune of 2% of project cost shall be deposited in the CAMPA account and same may be intimated to the MoEF&CC for the purpose of obtaining approval under the para-1.22 (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and FC division OM dated 26.12.2024.	Wildlife Management Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA has been deposited vide UTR No. RBI2392565771699 Dated 25.08.2025.


Divisional Forest officer
Suket Forest Division
Sundernagar Distt. Mandi H.P.


Executive Engineer
HPPWD, Sundernagar
Distt. Mandi H.P.

Undertaking

Sub:- Diversion of 41.815 ha. (now 33.3292 ha.) of forest land in favour of HPPWD for the construction of Slapper to Tattapani road (Km 8/500 to 61/600) within the jurisdiction of Suket and Karsog Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-Reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/37858/2018 dated 10.02.2025.

(ii) MoM of 73rd REC of the RO-Chandigarh held on 31.01.2025.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
8	State Govt. shall deposit the amount of Reclamation plan.	The amount of Reclamation plan has been deposited in CAMPA Account vide UTR No. RBI2392565771699 Dated 25.08.2025.


Divisional Forest officer
Suket Forest Division
Sundernagar Distt. Mandi H.P.


Executive Engineer
HPPWD, Sundernagar
Distt. Mandi H.P.

Undertaking

Sub:- Diversion of 41.815 ha. (now 33.3292 ha.) of forest land in favour of HPPWD for the construction of Slapper to Tattapani road (Km 8/500 to 61/600) within the jurisdiction of Suket and Karsog Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-Reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/37858/2018 dated 10.02.2025.

(ii) MoM of 73rd REC of the RO-Chandigarh held on 31.01.2025.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
9	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगी।	यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगी।

Divisional Forest officer
Suket Forest Division
Sundernagar Distt. Mandi H.P.


Executive Engineer
HPPWD, Sundernagar
Distt. Mandi H.P.

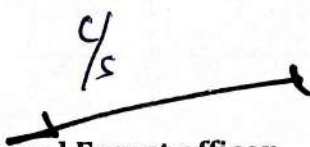
Undertaking

Sub:- Diversion of 41.815 ha. (now 33.3292 ha.) of forest land in favour of HPPWD for the construction of Slapper to Tattapani road (Km 8/500 to 61/600) within the jurisdiction of Suket and Karsog Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-Reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/37858/2018 dated 10.02.2025.

(ii) MoM of 73rd REC of the RO-Chandigarh held on 31.01.2025.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
10	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।	इस कार्यालय द्वारा या सुनिश्चित किया जाता है कि वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।


Divisional Forest officer
Suket Forest Division
Sundernagar Distt. Mandi H.P.


Executive Engineer
HPPWD, Sundernagar
Distt. Mandi H.P.

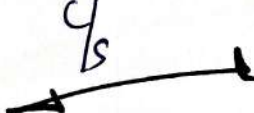
Undertaking

Sub:- Diversion of 41.815 ha. (now 33.3292 ha.) of forest land in favour of HPPWD for the construction of Slapper to Tattapani road (Km 8/500 to 61/600) within the jurisdiction of Suket and Karsog Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-Reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/37858/2018 dated 10.02.2025.

(ii) MoM of 73rd REC of the RO-Chandigarh held on 31.01.2025.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
11	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।	इस कार्यालय द्वारा या सुनिश्चित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को इस कार्यालय द्वारा जमा किया जायेगा।


Divisional Forest officer
Suket Forest Division
Sundernagar Distt. Mandi H.P.


Executive Engineer
HPPWD, Sundernagar
Distt. Mandi H.P.

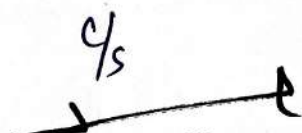
Undertaking

Sub:- Diversion of 41.815 ha. (now 33.3292 ha.) of forest land in favour of HPPWD for the construction of Slapper to Tattapani road (Km 8/500 to 61/600) within the jurisdiction of Suket and Karsog Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-Reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/37858/2018 dated 10.02.2025.

(ii) MoM of 73rd REC of the RO-Chandigarh held on 31.01.2025.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
12	एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार किया जायेगा।


Divisional Forest officer
Suket Forest Division
Sundernagar Distt. Mandi H.P.


Executive Engineer
HPPWD, Sundernagar
Distt. Mandi H.P.

Undertaking

Sub:- Diversion of 41.815 ha. (now 33.3292 ha.) of forest land in favour of HPPWD for the construction of Slapper to Tattapani road (Km 8/500 to 61/600) within the jurisdiction of Suket and Karsog Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-Reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/37858/2018 dated 10.02.2025.

(ii) MoM of 73rd REC of the RO-Chandigarh held on 31.01.2025.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
13	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।

4/5
Divisional Forest officer
Suket Forest Division
Sundernagar Distt. Mandi H.P.

Executive Engineer
HPPWD, Sundernagar
Distt. Mandi H.P.

Undertaking

Sub:- Diversion of 41.815 ha. (now 33.3292 ha.) of forest land in favour of HPPWD for the construction of Slapper to Tattapani road (Km 8/500 to 61/600) within the jurisdiction of Suket and Karsog Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-Reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/37858/2018 dated 10.02.2025.

(ii) MoM of 73rd REC of the RO-Chandigarh held on 31.01.2025.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
14	केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि केंद्र सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।


Divisional Forest officer
Suket Forest Division
Sundernagar Distt. Mandi H.P.


Executive Engineer
HPPWD, Sundernagar
Distt. Mandi H.P.

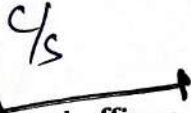
Undertaking

Sub:- Diversion of 41.815 ha. (now 33.3292 ha.) of forest land in favour of HPPWD for the construction of Slapper to Tattapani road (Km 8/500 to 61/600) within the jurisdiction of Suket and Karsog Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-Reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/37858/2018 dated 10.02.2025.

(ii) MoM of 73rd REC of the RO-Chandigarh held on 31.01.2025.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
15	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।	इस कार्यालय द्वारा वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।


Divisional Forest officer
Suket Forest Division
Sundernagar Distt. Mandi H.P.


Executive Engineer
HPPWD, Sundernagar
Distt. Mandi H.P.

Undertaking

Sub:- Diversion of 41.815 ha. (now 33.3292 ha.) of forest land in favour of HPPWD for the construction of Slapper to Tattapani road (Km 8/500 to 61/600) within the jurisdiction of Suket and Karsog Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-Reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/37858/2018 dated 10.02.2025.

(ii) MoM of 73rd REC of the RO-Chandigarh held on 31.01.2025.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
16	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी।	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

4/s
Divisional Forest officer
Suket Forest Division
Sundernagar Distt. Mandi H.P.

Executive Engineer
HPPWD, Sundernagar
Distt. Mandi H.P.

Undertaking

Sub:- Diversion of 41.815 ha. (now 33.3292 ha.) of forest land in favour of HPPWD for the construction of Slapper to Tattapani road (Km 8/500 to 61/600) within the jurisdiction of Suket and Karsog Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-Reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/37858/2018 dated 10.02.2025.

(ii) MoM of 73rd REC of the RO-Chandigarh held on 31.01.2025.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।



**Divisional Forest officer
Suket Forest Division
Sundernagar Distt. Mandi H.P.**



**Executive Engineer
HPPWD, Sundernagar
Distt. Mandi H.P.**

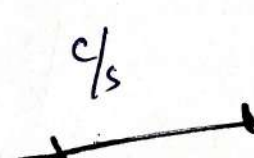
Undertaking

Sub:- Diversion of 41.815 ha. (now 33.3292 ha.) of forest land in favour of HPPWD for the construction of Slapper to Tattapani road (Km 8/500 to 61/600) within the jurisdiction of Suket and Karsog Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-Reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/37858/2018 dated 10.02.2025.

(ii) MoM of 73rd REC of the RO-Chandigarh held on 31.01.2025.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
18	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करवाया जायेगा ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।


**Divisional Forest officer
Suket Forest Division
Sundernagar Distt. Mandi H.P.**


**Executive Engineer
HPPWD, Sundernagar
Distt. Mandi H.P.**

Undertaking

Sub:- Diversion of 41.815 ha. (now 33.3292 ha.) of forest land in favour of HPPWD for the construction of Slapper to Tattapani road (Km 8/500 to 61/600) within the jurisdiction of Suket and Karsog Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-Reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/37858/2018 dated 10.02.2025.

(ii) MoM of 73rd REC of the RO-Chandigarh held on 31.01.2025.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
19	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता की जाएगी।


Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar Distt. Mandi H.P.


Executive Engineer
HPPWD, Sundernagar
Distt. Mandi H.P.

Undertaking

Sub:- Diversion of 41.815 ha. (now 33.3292 ha.) of forest land in favour of HPPWD for the construction of Slapper to Tattapani road (Km 8/500 to 61/600) within the jurisdiction of Suket and Karsog Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-Reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/37858/2018 dated 10.02.2025.

(ii) MoM of 73rd REC of the RO-Chandigarh held on 31.01.2025.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
20	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिन्हित की जाएगी।	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिन्हित की जाएगी।


Divisional Forest officer
Suket Forest Division
Sundernagar Distt. Mandi H.P.


Executive Engineer
HPPWD, Sundernagar
Distt. Mandi H.P.

Undertaking

Sub:- Diversion of 41.815 ha. (now 33.3292 ha.) of forest land in favour of HPPWD for the construction of Slapper to Tattapani road (Km 8/500 to 61/600) within the jurisdiction of Suket and Karsog Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-Reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/37858/2018 dated 10.02.2025.

(ii) MoM of 73rd REC of the RO-Chandigarh held on 31.01.2025.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
21	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे।	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे।


Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar Distt. Mandi H.P.


Executive Engineer
HPPWD, Sundernagar
Distt. Mandi H.P.

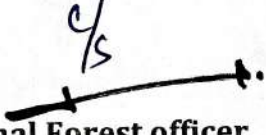
Undertaking

Sub:- Diversion of 41.815 ha. (now 33.3292 ha.) of forest land in favour of HPPWD for the construction of Slapper to Tattapani road (Km 8/500 to 61/600) within the jurisdiction of Suket and Karsog Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-Reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/37858/2018 dated 10.02.2025.

(ii) MoM of 73rd REC of the RO-Chandigarh held on 31.01.2025.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
22	प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/ एनबीडब्ल्यूएल/ एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी।	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/ एनबीडब्ल्यूएल/ एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास उपलब्ध किया जायेगा।


Divisional Forest officer
Suket Forest Division
Sundernagar Distt. Mandi H.P.


Executive Engineer
HPPWD, Sundernagar
Distt. Mandi H.P.

Undertaking

Sub:- Diversion of 41.815 ha. (now 33.3292 ha.) of forest land in favour of HPPWD for the construction of Slapper to Tattapani road (Km 8/500 to 61/600) within the jurisdiction of Suket and Karsog Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-Reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/37858/2018 dated 10.02.2025.

(ii) MoM of 73rd REC of the RO-Chandigarh held on 31.01.2025.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
23	यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।	इस कार्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि यदि आवश्यक होगा तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त की जाएगी।


Divisional Forest officer
Suket Forest Division
Sundernagar Distt. Mandi H.P.


Executive Engineer
HPPWD, Sundernagar
Distt. Mandi H.P.

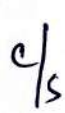
Undertaking

Sub:- Diversion of 41.815 ha. (now 33.3292 ha.) of forest land in favour of HPPWD for the construction of Slapper to Tattapani road (Km 8/500 to 61/600) within the jurisdiction of Suket and Karsog Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-Reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/37858/2018 dated 10.02.2025.

(ii) MoM of 73rd REC of the RO-Chandigarh held on 31.01.2025.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
24	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंका जायेगा। मलबा निस्तारण स्थल पर दर्शाए गये वृक्षों का पतन नहीं किया जायेगा।	इस कार्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंका जायेगा। मलबा निस्तारण स्थल पर दर्शाए गये वृक्षों का पतन नहीं किया जायेगा।


Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar Distt. Mandi H.P.


Executive Engineer
HPPWD, Sundernagar
Distt. Mandi H.P.

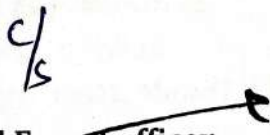
Undertaking

Sub:- Diversion of 41.815 ha. (now 33.3292 ha.) of forest land in favour of HPPWD for the construction of Slapper to Tattapani road (Km 8/500 to 61/600) within the jurisdiction of Suket and Karsog Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-Reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/37858/2018 dated 10.02.2025.

(ii) MoM of 73rd REC of the RO-Chandigarh held on 31.01.2025.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
25	इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी	इस कार्यालय द्वारा सम्बंधित शर्त का पालन किया जायेगा


Divisional Forest officer
Suket Forest Division
Sundernagar Distt. Mandi H.P.


Executive Engineer
HPPWD, Sundernagar
Distt. Mandi H.P.

Undertaking

Sub:- Diversion of 41.815 ha. (now 33.3292 ha.) of forest land in favour of HPPWD for the construction of Slapper to Tattapani road (Km 8/500 to 61/600) within the jurisdiction of Suket and Karsog Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-Reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/37858/2018 dated 10.02.2025.

(ii) MoM of 73rd REC of the RO-Chandigarh held on 31.01.2025.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
26	अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय - समय पर लगाई जा सकती है।	इस कार्यालय द्वारा सम्बंधित शर्त का पालन किया जायेगा।


Divisional ~~Forest~~ officer
Suket Forest Division
Sundernagar Distt. Mandi H.P.


Executive Engineer
HPPWD, Sundernagar
Distt. Mandi H.P.

Undertaking

Sub:- Diversion of 41.815 ha. (now 33.3292 ha.) of forest land in favour of HPPWD for the construction of Slapper to Tattapani road (Km 8/500 to 61/600) within the jurisdiction of Suket and Karsog Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-Reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/37858/2018 dated 10.02.2025.

(ii) MoM of 73rd REC of the RO-Chandigarh held on 31.01.2025.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
27	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम /न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।	इस कार्यालय द्वारा सम्बंधित शर्त का पालन किया जायेगा।

**Divisional Forest officer
Suket Forest Division
Sundernagar Distt. Mandi H.P.**

**Executive Engineer
HPPWD, Sundernagar
Distt. Mandi H.P.**

Undertaking

Sub:- Diversion of 41.815 ha. (now 33.3292 ha.) of forest land in favour of HPPWD for the construction of Slapper to Tattapani road (Km 8/500 to 61/600) within the jurisdiction of Suket and Karsog Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-Reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/37858/2018 dated 10.02.2025.

(ii) MoM of 73rd REC of the RO-Chandigarh held on 31.01.2025.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
28	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के बारे में जारी Consolidated Guidelines उल्लेखित दिशानिर्देश 1.16 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।	इस कार्यालय द्वारा सम्बंधित शर्त का पालन किया जायेगा।


**Divisional Forest officer
Suket Forest Division
Sundernagar Distt. Mandi H.P.**


**Executive Engineer
HPPWD, Sundernagar
Distt. Mandi H.P.**